भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 33

02.02.2023 को उत्तर के लिए

देश में प्रवाल पारितंत्र का संरक्षण

33. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में देश में प्रवाल भित्तियों में कितनी कमी आई है और उनमें कितना क्षरण हुआ है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इन भित्तियों के आस-पास सरकार द्वारा मछली पकड़ने संबंधी कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या प्रवाल अधिवास के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा कोई भू-मापन कवायद की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तटीय मिशन स्कीम के तहत प्रवाल भित्तियों और कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु प्रबंधन कार्य योजनाएं (एमएपी) तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं।

वर्ष 2016 में मन्नार की खाड़ी में प्रवाल विरंजन होने के कारण 16.2% प्रवाल नष्ट हो गए थे, जिससे जीवित प्रवाल की व्याप्ति, जो वर्ष 2015 में 38.86% थी, वर्ष 2016 में घटकर 22.69% रह गई। गत छः वर्षों में मन्नार की खाड़ी में, प्रवाल का क्षरण शैवाल की वृद्धि (2019 और 2021), जैविक हमले (2022) और वर्ष 2021 में प्रवाल रोग के प्रकोप के कारण हुआ है। संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों से प्रवाल भित्ति की सहन क्षमता में वृद्धि करने और वर्ष 2016 में विरंजन के कारण नष्ट हुए प्रवालों की बहाली में मदद मिली, और जीवित प्रवाल की व्याप्ति 22.69% (2016) से धीरे-धीरे बढ़कर 27.27% (2021) हो गई है।

(ग): प्रवालों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार अनुसूची-। में उल्लिखित प्रजातियों के रूप में संरक्षित किया जाता है। प्रवालों और प्रवाल भित्तियों को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) - 1क, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 के तहत पारिस्थितिकीय दृष्टि से

संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र में मछली पकड़ने संबंधी किसी कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख): राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम), चेन्नै द्वारा भारतीय तट क्षेत्र में, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) के बाहर पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के मानचित्रण कार्य के भाग के रूप में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों के सीमांकन का कार्य पूरा किया गया है। भारतीय तट क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर कुल 72 निकटवर्ती स्थलों और 1439.55 वर्ग किमी क्षेत्र का मानचित्रण किया गया।

*****